

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1552

दिनांक 22/11/2021

प्रार्थीगण :-

1.रमेश कुमार पुत्र मानाराम, जाति सुथार
निवासी गुमाने का तला, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1.मघाराम 2.हरीश 3.सुरेश पि.जगाराम
4.पप्पूदेवी पत्नि जगाराम, जातियान सुथार
5.जोधदान पुत्र रूपदान 6.बाबूदान
7.ईशरदान पि.खमाणदान 8.मोहनीदेवी पत्नि
खमाणदान 9.धापदेवी पत्नि जुगतदान
10.भगवानदान पुत्र अखदान, जातियान
चारण, निवासीयान गुमाने का तला
11.शान्तिदेवी पत्नि बाबूराम जाति जाट
निवासी कुंभाणियों का डेर,धनाऊ
12.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 33/2021

दिनांक : 17.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला के मौजा गुमाने का तला के खेत खसरा सं. 301/63 रकबा 22.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू किसी स्थाई/मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1553 to 1556

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी रमेश कुमार
3. विप्रार्थीगण मघाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 22/11/2021



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन